रैगिंग निषेध अधिनियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग निषेध अधिनियम-२००९ के नियम-६.३ (क) दिनांक १७ जून २००९ के अनुसार परिसरों में रैगिंग दण्डनीय अपराध है । रैगिंग में निम्नलिखित अपराध सम्मिलित हैं:-

१. रैगिंग हेतु उकसाना ।
२. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र ।
३. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना ।
४. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना ।
५. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना ।
६. रैगिंग को चोट पहुँचाना ।
७. गलत ढंग से रोकना ।
८. आपराधिक बल प्रयोग ।
९. प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध ।
१०. बलात् ग्रहण ।
११. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना ।
१२. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध ।
१३. आपराधिक धमकी ।
१४. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना ।
१५. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना ।
१६. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना ।
१७. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध ।

रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्य निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे

क. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना ।

ख. छात्र अथवा छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो ।

ग. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो ।

घ. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाएं ।

ङ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना ।

च. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना ।

छ. शारीरिक शोषण को कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथाकाम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानी पहुँचे ।

ज. मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, सार्वजनिक किसी को अपमानित करना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो ।

झ. कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े । नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना ।

ञ. रैगिंग निषेध संपर्क हेतु टोल फ्री नं० – १८०-१८०-५२२
दूरभाष संख्या ०९८७११७०३०३, ०९८१८४००११६ केवल अत्यावश्यक संदर्भ में
वैबसाईट www.antiragging.in